#SPLTP @pramod_439 के निर्देशन में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगानें हेतु कोतवाली पुलिस द्वारा एक जिलाबदर अभियुक्त को मय एक अदद तमन्चा व 02 अदद जिन्दा कारतूस के गिरफ्तार कर जेल भेजा गया ।

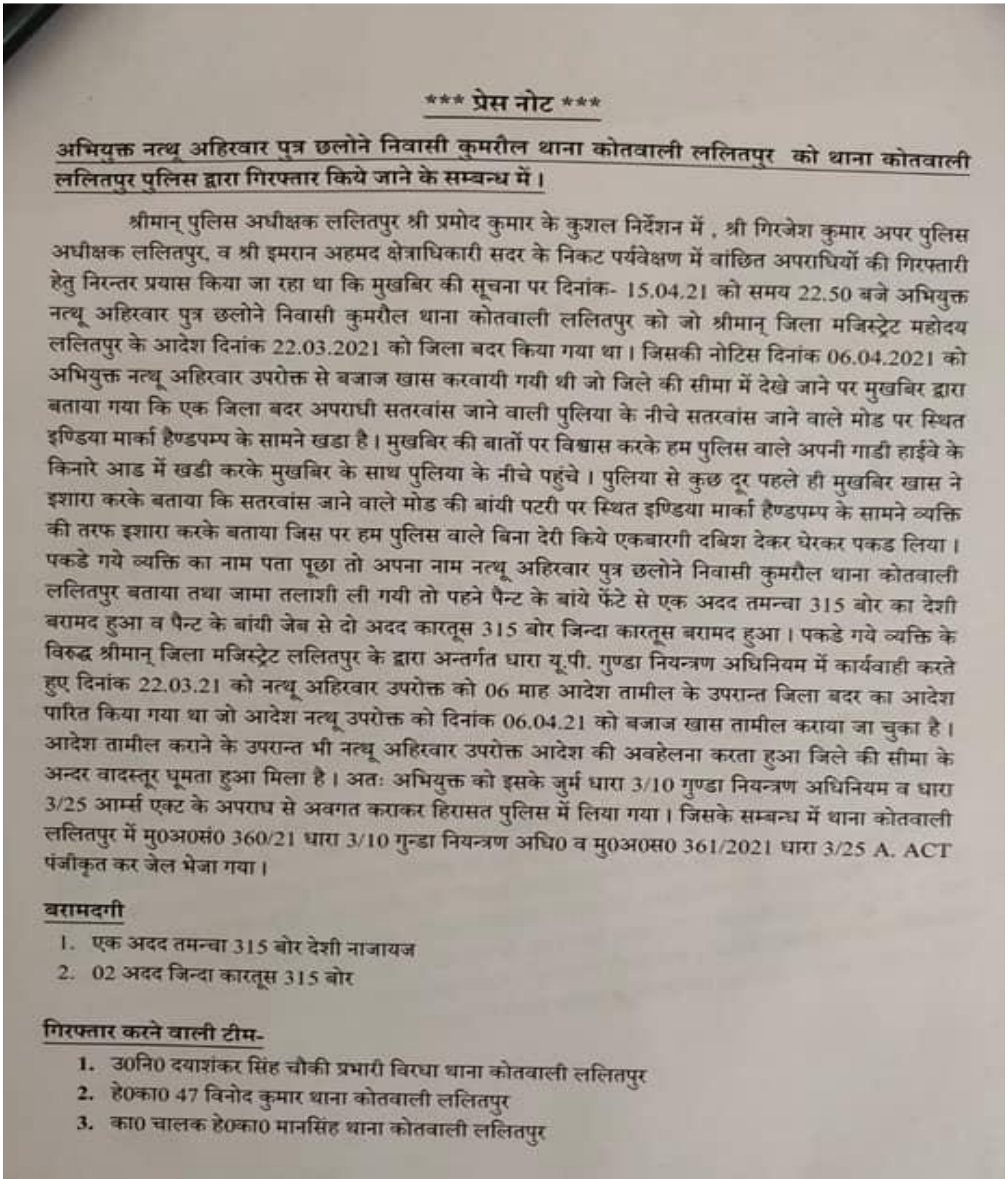

*** प्रेस नोट ***

**अभियुक्त नत्थू अहिरवार पुत्र छलोने निवासी कुमरौल थाना कोतवाली ललितपुर को थाना कोतवाली ललितपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने के सम्बन्ध में।**

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक ललितपुर श्री प्रमोद कुमार के कुशल निर्देशन में , श्री गिरजेश कुमार अपर पुलिस अधीक्षक ललितपुर, व श्री इमरान अहमद क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु निरन्तर प्रयास किया जा रहा था कि मुखबिर की सूचना पर दिनांक- 15.04.21 को समय 22.50 बजे अभियुक्त नत्थू अहिरवार पुत्र छलोने निवासी कुमरौल थाना कोतवाली ललितपुर को जो श्रीमान् जिला मजिस्ट्रेट महोदय ललितपुर के आदेश दिनांक 22.03.2021 को जिला बदर किया गया था। जिसकी नोटिस दिनांक 06.04.2021 को अभियुक्त नत्थू अहिरवार उपरोक्त से बजाज खास करवायी गयी थी जो जिले की सीमा में देखे जाने पर मुखबिर द्वारा बताया गया कि एक जिला बदर अपराधी सतरवांस जाने वाली पुलिया के नीचे सतरवांस जाने वाले मोड पर स्थित इण्डिया मार्का हैण्डपम्प के सामने खडा है। मुखबिर की बातों पर विश्वास करके हम पुलिस वाले अपनी गाडी हाईवे के किनारे आड में खडी करके मुखबिर के साथ पुलिया के नीचे पहुंचे। पुलिया से कुछ दूर पहले ही मुखबिर खास ने इशारा करके बताया कि सतरवांस जाने वाले मोड की बांयी पटरी पर स्थित इण्डिया मार्का हैण्डपम्प के सामने व्यक्ति की तरफ इशारा करके बताया जिस पर हम पुलिस वाले बिना देरी किये एकबारगी दबिश देकर घेरकर पकड लिया। पकडे गये व्यक्ति का नाम पता पूछा तो अपना नाम नत्थू अहिरवार पुत्र छलोने निवासी कुमरौल थाना कोतवाली ललितपुर बताया तथा जामा तलाशी ली गयी तो पहने पैन्ट के बांये फेंटे से एक अदद तमन्चा 315 बोर का देशी बरामद हुआ व पैन्ट के बांयी जेब से दो अदद कारतूस 315 बोर जिन्दा कारतूस बरामद हुआ। पकडे गये व्यक्ति के विरुद्ध श्रीमान् जिला मजिस्ट्रेट ललितपुर के द्वारा अन्तर्गत धारा यू.पी. गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम में कार्यवाही करते हुए दिनांक 22.03.21 को नत्थू अहिरवार उपरोक्त को 06 माह आदेश तामील के उपरान्त जिला बदर का आदेश पारित किया गया था जो आदेश नत्थू उपरोक्त को दिनांक 06.04.21 को बजाज खास तामील कराया जा चुका है। आदेश तामील कराने के उपरान्त भी नत्थू अहिरवार उपरोक्त आदेश की अवहेलना करता हुआ जिले की सीमा के अन्दर वादस्तूर घूमता हुआ मिला है। अतः अभियुक्त को इसके जुर्म धारा 3/10 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अपराध से अवगत कराकर हिरासत पुलिस में लिया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली ललितपुर में मु0अ0सं0 360/21 धारा 3/10 गुन्डा नियन्त्रण अधि0 व मु0अ0स0 361/2021 धारा 3/25 A. ACT पंजीकृत कर जेल भेजा गया।

**बरामदगी**

1. एक अदद तमन्चा 315 बोर देशी नाजायज
2. 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

**गिरफ्तार करने वाली टीम-**

1. उ0नि0 दयाशंकर सिंह चौकी प्रभारी विरधा थाना कोतवाली ललितपुर
2. हे0का0 47 विनोद कुमार थाना कोतवाली ललितपुर
3. का0 चालक हे0का0 मानसिंह थाना कोतवाली ललितपुर